संख्या-35/2018/2478/60-2-18-2/3(9)/12

प्रेषक,

बलवीर सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2018

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त मानदेय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-290/बा0वि0परि0/लेखा/2018-19, दिनांक 23.08.2018 के संदर्भ में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या-49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले मानदेय हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 37641.30 लाख के सापेक्ष धनराशि रूपये 18820.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-25/2018/648/60-2-18-2/3(9)/12 दिनांक 19 अप्रैल, 2018 द्वारा तथा धनराशि रूपये 6.95 लाख के पुनर्विनियोजन की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-32/2018/1036/60-2-18-2/1(78)/18 दिनांक 16 जुलाई, 2018 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले मानदेय हेतु 14-समन्वित बाल विकास परियोजना की मानक मद 07-मानदेय के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 37641.30 लाख (रूपये तीन अरब छिहत्तर करोड़ इकतालिस लाख तीस हजार मात्र) के सापेक्ष 06 माह के व्यय हेतु रूपये 18814.35 लाख (रूपये एक अरब अट्ठासी करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-14-समन्वित बाल विकास परियोजना-1401-आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद 07-मानदेय" के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बलवीर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-35/2018/2478(1)/60-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बलवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।